

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
12.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2089 का उत्तर

रेलवे में लोको पायलट के मौजूदा रिक्त पद

2089. श्री खलीलुर रहमान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) रेलवे में लोको पायलट के मौजूदा रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में विभिन्न श्रेणियों की रेलगाड़ियों में लोको पायलटों की कुल संख्या कितनी है;
- (ग) गत दस वर्षों के दौरान कितने लोको पायलट सेवानिवृत्त हुए तथा उसी अवधि के दौरान कितने लोको पायलट भर्ती हुए;
- (घ) रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ङ) एक सप्ताह में लोको पायलट के ड्यूटी के कितने घंटे स्वीकृत हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): भारतीय रेल के आकार, भौगोलिक वितरण और परिचालन महत्व को ध्यान में रखते हुए पदों का रिक्त होना और उसे भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। नियमित परिचालन, प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों, यंत्रीकरण और नवोन्मेषी पद्धतियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति मुहैया कराई जाती है। रिक्तियों को मुख्यतः परिचालनिक और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती एजेन्सियों को मांग पत्र भेज कर नियमित आधार पर भरा जाता है।

कोविड-19 के कारण लागू प्रतिबंधों में ढील देने के बाद, दो बड़ी परीक्षाओं जिनमें 2.37 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया, का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है।

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	केंद्र	दिवस	पालियां
एल2 - एल6	1.26 करोड़	211	726	68	133
एल1	1.1 करोड़	191	551	33	99

इन परीक्षाओं के आधार पर, रेलों में 1,30,581 अभ्यर्थियों की भर्ती की गई है।

वर्ष 2004-2005 से 2013-2024 की अवधि की तुलना में वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर की गई भर्तियां निम्नानुसार है:-

अवधि	भर्तियां
2004-2005 से 2013-2024 तक	4.11 लाख
2014-15 से 2023-24 तक	5.02 लाख

पिछले दस वर्षों (अर्थात् 2014-2015 से 2023-2024 तक) के दौरान सहायक लोको पायलट (एएलपी)/लोको पायलट (एलपी) के पद पर 51856 अभ्यर्थियों की भर्ती की गई है। इसी अवधि के दौरान, 15300 लोको पायलट सेवानिवृत्त हुए हैं।

इसके अलावा, प्रणालीगत सुधार के तौर पर, रेल मंत्रालय ने समूह 'ग' पदों की विभिन्न कोटियों में भर्ती के लिए वर्ष 2024 से वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करने की एक प्रणाली शुरू की है। वार्षिक कैलेंडर की शुरुआत करने से अभ्यर्थियों को निम्नानुसार लाभ होगा:

- अभ्यर्थियों के लिए अधिक अवसर;
- प्रतिवर्ष योग्यता प्राप्त करने वालों को अवसर;
- परीक्षाओं की निश्चितता;
- भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्तियों में तेजी।

सहायक लोको पायलटों (18799 रिक्तियां), तकनीशियनों, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में उप-निरीक्षक और कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर(जेई)/डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस)/रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक (सीएमए), पैरामेडिकल कोटियां, गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां(स्नातक) और गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (पूर्व-स्नातक), मिनिस्टीरियल एवं आइसोलेटेड कोटियां और लेवल-1 के पदों को भरने के लिए 2024 में 92116 रिक्तियों के लिए दस केंद्रीकृत अधिसूचनाएं अधिसूचित की गई हैं। 41500 रिक्तियों के लिए प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं (सीबीटी) दिनांक 25.11.2024 से 30.12.2024 तक पूरी हो गई हैं।

ब्यौरा निम्नानुसार है:-

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	केन्द्र	दिवस	पालियां
एएलपी सीईएन संख्या 01/2024 (18799 रिक्तियां)	1840347	156	346	5	15
तकनीशियन सीईएन संख्या 02/2024 (14298 रिक्तियां)	2699892	139	312	9	27
जेई/डीएमएस/सीएमए सीईएन संख्या 03/2024 (7951 रिक्तियां)	1101266	146	323	3	9
आरपीएफ सीईएन संख्या 01/2024 (452 रिक्तियां)	1535635	143	306	5	15

इसके अलावा, कांस्टेबल के पद के लिए आरपीएफ सीईएन संख्या 02/2024 (4208 रिक्तियां) के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 02.03.2025 से शुरू हो गई है। सहायक लोको पायलट के पद हेतु सीईएन संख्या 01/2024 के लिए द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-II) दिनांक 19.03.2025 और 20.03.2025 के लिए निर्धारित है।

लोको पायलट निरंतर कोटि के अंतर्गत वर्गीकृत है। रेल अधिनियम-1989 की धारा 132(2), निरंतर कोटि के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए चौदह कार्य दिवस की दो-साप्ताहिक अवधि में औसतन 54 घंटे प्रति सप्ताह की इयूटी घंटे का निर्धारण करती है। "कार्य के घंटे एवं विश्राम अवधि", 2005 के नियम-8 में लोको पायलटों के लिए प्रति सप्ताह चौदह कार्य

दिवस की दो-साप्ताहिक अवधि में औसतन 52 घंटे की इयूटी के घंटे होने की दिशा-निर्देश दिए गए हैं अर्थात् भारतीय रेल पर अन्य "निरंतर" कोटि के कर्मचारियों के लिए अधिकतम 54 घंटे से कम है। रेल अधिनियम, 1989 की धारा 132 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अतिरिक्त कार्य घंटों के लिए लोको पायलटों को मुआवजा दिया जाता है।
